न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 32/2016/टीए

1.प्रेमसिंह पिता सांवतसिंह राजपूत
2.श्रीमती लाडकंवर पत्नि सांवतसिंह राजपूत
3.श्रीमती इन्द्रा कंवर पत्नि प्रेमसिंह राजपूत
तीनो निवासी दलपुरा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. मोहनकंवर पत्नि शम्भुसिंह राजपूत
2. कैलाशकंवर पत्नि सज्जनसिंह राजपूत
दोनो निवासी नई आबादी अम्बावली तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
दिनांक 16.11.2015 प्रकरण सं. 23/2015

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री सत्यनारायण ईनाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट – 1 व 2

निर्णय दिनांक– 14.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके साथ ही धारा 212 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अम्बावली तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 7 रकबा 0.49 है0 आराजी नम्बर 108 रकबा 0.12 है0 आराजी नम्बर 110 रकबा 0.21 है0 आराजी नम्बर 114 रकबा 1.11 है0 आराजी नम्बर 121 रकबा 0.10 है0 आराजी नम्बर 112 रकबा 1.33 है0 कुल किता 6 रकबा 3.36 है0 के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्टगण वादीगण द्वारा दिनांक 18/02/2015 को अपीलान्ट संख्या 1 व 2 से तादादी 300000/– रू. मे क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, जो रेस्पोडेन्टगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है व सम्पूर्ण आराजीयात को वादग्रस्त होना बताते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई की जाकर दिनांक 22/06/2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी व

उसी अंतरिम निषेधाज्ञा को विचारण न्यायालय ने दिनांक 16/11/2015 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का निर्णय आदेश किया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

2. अपीलान्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेन्टगण को आराजी नम्बर 7 रकबा 0.49 है0 भूमि जो अन्य आराजीयात के साथ अपीलान्टगण के खातेदारी मे दर्ज रेकार्ड होने व आराजी नम्बर 7 मे रकबा लगभग 3 बिस्वा भूमि पर अपीलान्टगण के मकानात बने हुए है जिससे उक्त मकानात को छोडकर शेष रकबा रेस्पोडेन्टगण के विक्रय किया फिर भी रेस्पोडेन्टगण ने सम्पूर्ण आराजीयात का विक्रयपत्र निष्पादित करवा दिया व उक्त तथाकथित बहनामे के अनुसार सम्पूर्ण आराजीयात रेस्पोडेन्टगण ने अपने नाम पर दर्ज करवा ली। वक्त विक्रयपत्र दिनांक 25/02/2015 को रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्टगण के पक्ष मे अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित किया कि आराजी नम्बर 7 को हमने पंजीकृत बहनामे से क्रय की है परन्तु उक्त आराजीयात मे से तीन बिस्वा भूमि पर अपीलान्टगण के मकानात बने हुए है वह मकानाम अपीलान्टगण के रहेगे। जिससे हमारा कोई सम्बन्ध सरोकार नही रहेगा फिर भी रेस्पोडेन्टगण ने सम्पूर्ण आराजीयात के सम्बन्ध मे वादपत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को नजर अंदाज करते हुए वादपत्र मे वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात के सम्बन्ध मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निर्णय पारित कर दिया जो वैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण के विचारधीन रहते हुए कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गयी जिसमे भी आराजी नम्बर 7 रकबा 0.49 है0 मे से 3 बिस्वा भूमि छोडकर शेष आराजीयात पर रेस्पोडेन्टगण क्रेतागण का कब्जा पाया गया व अन्य आराजीयात से रेस्पोडेन्टगण वादीगण का किसी प्रकार का सम्बन्ध सरोकार नही होना अंकित किया गया व उक्त आराजीयात अपीलान्टगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे दर्ज होना पाया गया व आराजी नम्बर 7 मे से 3 बिस्वा भूमि पर अपीलान्टगण के मकानात होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को नही थी। अपील अपीलान्ट बाद जानकारी अन्दर मयाद पेश है। अपील पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलान्टगण विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण स्वीकार फरमाया

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 16/11/2015 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे मूलवाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आज भी विचाराधीन है जिसमे धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16/11/2015 को खारीज कर दिया गया। प्रश्नगत भूमि राजस्व ग्राम अम्बावली तहसील बडीसादडी की है जिसमे 3 बिस्वा भूमि का विवाद है। खसरा नम्बर 7 जिसका कुल रकबा 0.49 है0 उसमे से 3 बिस्वा का विवाद चल रहा है। दरअसल उक्त रकबा दिनांक 18/02/2015 को जरिये बयनामा क्रय किया हुआ है। जिसमे मकानात का उल्लेख नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ 14 पर दिनांक 25/02/2015 का अनुबन्ध पेश हुआ जो बाद की तारीख का है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन के समस्त कारक अपीलार्थी के हक मे होने के बावजूद भी स्थगन नही जारी कर धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि यह सही है कि पूरी भूमि का टाईटल क्रेता को प्राप्त हुआ है लेकिन मौके पर विक्रेता के मकान बने होने के कारण इसके लिये अलग से अनुबन्ध हुआ है जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट उक्त विवादग्रस्त 3 बिस्वा भूमि पर उनके मकानात होने के कारण काबिज रहने के हकदार है। साथ मे यह अपील अवधि पार है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थी उपस्थित रहे है उनको पहले ही निर्णय की जानकारी हो गई थी परन्तु साढे छः महीने बाद अपील प्रस्तुत हुई है। दफा 5 का आवेदन पत्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका जवाब भी रेस्पोडेन्ट भी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय मे पेश किया है। अपीलान्ट ने मुख्य आधार उनके अधिवक्ता द्वारा निर्णय की जानकारी नही देना बताया है जो तर्कसंगत एवं मान्य नही है। इस सम्बन्ध मे उनके द्वारा 2017 आरआरटी पोर्ट–1 पेज 711 की नजीर भी पेश की गई एवं आग्रह किया गया कि अपील अपीलार्थी सारहीन एवं अवधि पार होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उल्लेखित तीनो कारको का विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी परिस्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 23/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 16/11/2015 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ